**<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 20.03.2018 को आयोजित 136वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 136वीं बैठक कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में श्री राजेश शर्मा, महापंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार, श्री बी. एस. जाट, संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार, श्रीमति सीमा सिंह, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, श्री प्रमोद प्रधान, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री ए.के. सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री आर.के.थानवी, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री एन.सी. उप्रेती, संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिड्बी, विभिन्न बैंकों, इंडियापोस्ट, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया.

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष तथा कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा** ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की.

उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार जयपुर में 18 से 21 मार्च, 2018 तक राजस्थान आईटी दिवस का आयोजन कर रही है. राजस्थान आईटी दिवस तकनीकी नवाचार, कौशल विकास और स्टार्टअप ड्राइव के लिए एक ब्रांड नाम बन गया है। इस कार्यक्रम ने तकनीक विशेषज्ञ और व्यापारिक विशेषज्ञों के लिए प्रौद्योगिकी सुधार के क्षेत्र में एक बेंचमार्क निर्धारित किया है. राजस्थान सरकार ने इस प्रतिस्पर्धी मंच को इसलिए बनाया है ताकि आईटी विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता और कौशल दिखा सकें.

औद्योगिक, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में विकास में गति लाने के लिए पिछले कुछ वर्षो में राज्य सरकार द्वारा कई पहल/प्रयत्न किए हैं जिसमें से वर्ष 2017-18 में उदयपुर एवं कोटा जिलें में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) है. ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में कृषि क्षेत्र की नई तकनीक से राजस्थान की जनता को रूबरू करवाना एवं राजस्थान में उपलब्ध संभावनाओं (Potential) में निवेश हेतु पूरे विश्व से कृषि क्षेत्र की कंपनियों एवं कृषकों को आमंत्रित किया गया. राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं में बैंकों के द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है एवं राज्य में बैंकिंग व्यवसाय यथा सामान्य एवं कृषि ऋण प्रदान करने के विशाल अवसर मौजूद है.

पीएमईजीपी एवं स्टेण्ड उप इंडिया जैसी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए माननीय श्री गिरिराज सिंह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकर्स के साथ बीकानेर में 27.01.2018 को एक बैठक बुलाई थी.

राज्य में उपलब्ध क्षमता व आधारिक संरचना को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कुल ₹ 1,83,517 करोड़ रुपये के संस्थागत ऋण की संभाव्यता (पीएलपी) का आंकलन किया गया है जो कि वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक साख योजना (ACP) के कुल लक्ष्य से 22.80% अधिक है.

वस्त्र मंत्रालय, सरकार भारत ने 19 से 24 फरवरी, 2018 के मध्य पूरे देश में हथकरघा और हस्तशिल्प समूहों में 218 हस्तकला सहयोग शिविरों का आयोजन किया। इनमें से 9 शिविर राजस्थान राज्य में आयोजित किए गए. ये शिविर बुनकर सेवा केंद्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और हस्तशिल्प के विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित किए गए थे. इन शिविरों में बुनकरों और कारीगरों को विभिन्न बैंकिंग सेवाएं यथा मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की मंजूरी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत नामांकन के लिए आवेदन इत्यादि सेवाएं प्रदान की गईं.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के दिसम्बर 2017 तिमाही के विभिन्न पैरामीटर्स यथा कुल जमाओं, कुल अग्रिमों, कृषि अग्रिमों, सीमांत एवं लघु कृषकों को ऋण, वार्षिक साख योजना के अंतर्गत उपलब्धि, साख जमा अनुपात इत्यादि के बारे में बताया एवं उक्त सभी पैरामीटर्स पर एजेंडा के कार्यबिन्दु के साथ चर्चा करने की सलाह दी. उन्होंने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टेण्ड अप योजना में बैंकों को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक नामांकन करवाने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण, मोबाइल नम्बर सीडिंग व रुपे कार्ड एक्टिवेशन पर भी प्रकाश डाला.

उन्होंने बताया कि ऋण की वसूली बैंकों के महत्वपूर्ण पैरामीटर में से एक है क्योंकि बढ़ते एनपीए के कारण बैंको का लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है. साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में भी प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है. राको (रोड़) एक्ट एवं SARFAESI एक्ट के अंतर्गत जिला / ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं. यहाँ तक कि कुछ मामले तो एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं. बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए को देखते हुए वसूली हेतु बैंकों के पक्ष में वातावरण बनाने की आवश्यकता है.

अंत में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद किया.

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बैठक में उद्बोदन हेतु महापंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

**महापंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि एसएलबीसी एवं बैंकों के अनुरोध पर राजस्थान सरकार द्वारा बैंक एवं मर्चेन्ट के मध्य POS मशीन के लिए निष्पादित अनुबन्ध पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त कर दी गई है.

वर्तमान में ऑन लाइन ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर के लिए राज्य के समस्त जिलों के LDM को उनके यूजर id एवं पासवर्ड विभाग द्वारा उपलब्ध करवा दिए गये हैं तथा LDM से अपेक्षा है कि अपने अधीनस्थ शेष सभी बैंक शाखा के चेकर एवं मेकर आईडी बनाकर ऑनलाइन ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कृषि ऋण मोर्गेज के दस्तावेज़ संबन्धित उप पंजीयक कार्यालय को प्रस्तुत करवाने की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें.

उन्होने बताया कि आवास एवं अन्य ऋण के लिए बैंकों द्वारा निष्पादित अनुबन्ध जो कि पंजीयन हेतु प्रस्तुत नहीं होते है, उनकी फीडिंग भी ऑनलाइन करने हेतु module तैयार करवाया जा रहा है, जिसके तैयार होने पर बैंक ब्रांच अपने सभी ऋण अनुबन्धों की एंट्री एवं उस पर ली गई स्टांप ड्यूटी की फीडिंग ऑनलाइन कर सकेंगे.

राज्य में लगभग 518 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस कार्यरत हैं एवं सभी में ई-पंजीयन का कार्य शुरू हो चुका है. इनमें से लगभग 20 तहसीलों एवं 30 केन्द्रों में ऑन लाइन नामांतरण का काम भी चालू कर दिया गया है. भारत सरकार के 'Ease of Doing Business' में लगभग 20 बिन्दु IGRS विभाग से संबन्धित थे जो कि उनके विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जाने से सूचित किया.

साथ ही उन्होंने सूचित किया कि उनके विभाग द्वारा 5 साल के legacy डाटा में से 2 साल का डाटा Indexing & Scanning कर लिया गया है एवं शेष 3 साल के डाटा पर भी काम चालू कर दिया गया है. साथ ही सार्वजनिक सुविधा की slot बुकिंग एवं अन्य सारी प्रकिया चालू कर दी गयी है.

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बैठक में उद्बोदन हेतु महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया.

**महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक** ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा सरकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा एसएलबीसी बैठक में सहभागिता नहीं करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक उद्बोधन का सार बिन्दु निम्नानुसार है :

- भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 27.02.2018 को व्यवसाय प्रतिनिधि से संबंधित रजिस्ट्री पोर्टल लांच किया है जो कि भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा विकसित किया गया है एवं परिपत्र दिनांक 28.02.2018 के द्वारा पोर्टल से संबंधित दिशा-निर्देश समस्त बैंको को जारी कर दिए गए है जिसके

अनुसार सभी बैंको को अपने व्यवसाय प्रतिनिधि (BC) की सूचना इस रजिस्ट्री पोर्टल पर इंद्राज करनी अनिवार्य है.

- सरकार के वित्तीय वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्ध्यमों एवं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त बजट का आवंटित किया गया है. बजट में कृषि में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (Food Processing Units), एफ़पीओ के लिए 100 Cr. तक कर मुक्त की घोषणा को ध्यान में रखते हुए एफ़पीओ को वित्त पोषित करने की दिशा में बैंकों को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए.

- भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगो को बढ़ावा देने के लिए रोजगार उन्मुखी योजनाएँ यथा पी.एम.ई.जी.पी, एन.यु.एल.एम, बीआरएसवाई योजनाओं के लक्ष्यों के सापेक्ष दिसम्बर 2017 तिमाही तक उपलब्धि के आकडे बैंक नियंत्रकों से मांगे गए थे लेकिंग आज दिनांक तक उनके कार्यालय को पूर्ण आकडे प्राप्त नहीं हुए है जिससे यह प्रतीत होता है कि बैंकों के नियंत्रक कार्यालय द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की निगरानी नहीं की जा रही है.

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तर पर गठित एन.यु.एल.एम की टास्क फोर्स में अग्रणी जिला प्रबन्धक के अलावा बैंक के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी सदस्य होने अनिवार्य है लेकिन अधिकतर जिलों में बैंकों के प्रतिनिधियों को टास्क फोर्स में सम्मिलित नहीं किया गया है. अतः टास्क फोर्स में बैंक के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भी सम्मिलित करने के निर्देश प्रदान किए ताकि ऋण आवेदन पत्रों की गुणवत्ता कायम होगी जिससे ऋण आवेदन पत्रों के अस्वीकृति की संख्या में भी कमी आयेगी एवं टास्क फोर्स पेशेवर रूप में कार्य कर सकें.

**(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)**

- प्राकृतिक आपदा से संबंधित आकड़ों को भारतीय रिजर्व बैंक के पोर्टल पर डेटा अद्यतन करने में आ रही कठनाईयों पर चर्चा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में दिनांक 28.02.2018 को बैंठक का आयोजन किया गया था. राजस्थान के 13 जिलों में 6411 गांव प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए है एवं प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को लाभान्वित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की विशेष बैठक एवं विशेष डीएलसीसी बैठक का आयोजन किया गया है लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त सूचना के अनुसार प्राकृतिक आपदा के अधिसूचित क्षेत्र के पीड़ितो को बैंकों द्वारा राहत नहीं पहुचाई गयी है

- कुछ दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार बांसवाडा जिले के 18 बैंक के 18000 खातो में लगभग राशि रू 182 करोड़ एन.पी.ए हो गया है जो कि एक चिंता का विषय है. जिला स्तर पर राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकारियों से एनपीए वसूली के लिए अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने पर चिंता व्यक्त की. जिला स्तर की बैठकों में जिला प्रशासन के अधिकारियों

द्वारा केवल राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की ही प्रगति की समीक्षा की जा रही है एवं अन्य प्रकरणों/योजनाओं की प्रगति पर चर्चा नहीं की जाती है.

- बैंक नियंत्रकों से आग्रह किया कि बड़ी राशि के ऋण देने के बजाय छोटी छोटी राशि के ऋण प्रदान करने के लिए शाखाओं को प्रोत्साहित करें जिससे वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को भी पूरा किया जा सके.

- राज्य के पीएलपी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समस्त बैंक नियंत्रकों को कार्ययोजना बना कर लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यवाही किए जाने हेतु अनुरोध किया.

**मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड** ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड उद्बोधन का सार बिन्दुवार निम्नानुसार है :

- आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 को राज्य के पीएलपी के लक्ष्य राशि रू 1.84 लाख करोड़ निर्धारित किए गए है.
- बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि पीएलपी को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर के अधिकारियों एवं शाखाओं को लक्ष्य प्रदान करें.
- दीर्घकालीन कृषि की संभाव्यता एवं प्लान के अनुसार प्रगति संतोषजनक नहीं है. अतः विशेष रूप से दीर्घकालीन कृषि ऋणों को वितरित करने के लिए शाखाओं को निर्देशित करने हेतु बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान करें.
- नाबार्ड द्वारा क्षेत्र विकास योजनाएं (Area Development Scheme) तैयार कर लॉच (Launch) की गयी है जिसमें राज्य के समस्त जिलों को कवर करते हुए नाबार्ड ने 66 क्षेत्रीय विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है ताकि कृषि एवं उससे संबंधित सभी गतिविधियों में Term Loan lending को बढ़ावा दिया जा सके.
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के एफ.आई.एफ से स्वीकृत कार्यक्रम/योजनाओं के क्लेम को दिनांक 31.03.2018 से पूर्व नाबार्ड से प्राप्त करने के लिए बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.
- स्वयं सहायता समुह को digitize करने के लिए नाबार्ड द्वारा ई-शक्ति के तीसरे चरण का प्रारंभ किया गया है एवं दिनांक 31.03.2018 तक 7 जिलों में 37000 स्वयं सहायता समुह को digitize करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को सहयोग करने के लिए समस्त बैंक नियंत्रकों एवं संबन्धित विभागों से अनुरोध किया.
- नाबार्ड/सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं यथा Rural Godown, Agriculture Marketing & Infrastructure Scheme (AMI) इत्यादि के लिए अनुदान जारी करने के लिए बैंको से सूचना चाही थी लेकिन संबन्धित बैंकों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में संबन्धित ग्राहकों को अनुदान प्राप्त नहीं होने पर न्यायालय में दाखिल प्रकरणों की संख्या में बढ़ोतरी होना, संसदीय प्रश्न (Parliamentary Questions) एवं आरटीआई (RTI) इत्यादि हो रही है. इस संबंध में नाबार्ड द्वारा चाही गयी सूचना समय पर उपलब्ध करवाने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

- प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करने की दिशा में एफ़पीओ बहुत अच्छा कार्य कर रहे है. एफ़पीओ को धान मंडीयों में लाइसेन्स देने, मंडी का लाइसेन्स का शुल्क युक्तिसंगत बनाने एवं भूमि प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया. नाबार्ड द्वारा 143 एफ़पीओ गठित किए गए है एवं आगामी वर्ष में 100 नए एफ़पीओ गठित कर एपीएमसी स्कीम में सम्मिलित किए जाने से सूचित किया
- नाबार्ड ने बैंकों एवं एनजीओ के सहयोग से श्रीगंगानगर में कौशल विकास के लिए योजना लॉच की है.
- उन्होने बताया कि उनके कारागृह (Jail) विजिट के दौरान पाया कि कारागृह में कौशल विकास के कार्यक्रम चला कर कैदियों के जीवनयापन के लिए आर्थिक गतिविधियां प्रारम्भ की जा सकती है.
- नाबार्ड के पास कौशल विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत फंड उपलब्ध है. इस संबंध में कौशल विकास के कार्यक्रम चलाने के लिए बैंकों से अनुरोध किया ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके.

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बैठक में उद्बोदन हेतु संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

**संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार** ने राजस्थान में बैंको की कार्य प्रणाली की सराहना करते हुए एसएलबीसी बैठक में कुछ सरकारी विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर खेद प्रकट किया. उन्होंने बैंकों के NPA रिकवरी के लिए सरकार की भूमिका बढ़ाने के लिए एसएलबीसी बैठक में राको (रोड़) एक्ट एवं SARFAESI एक्ट के अंतर्गत प्रकरणों में NPA रिकवरी हेतु एक स्थाई एजेंडा बनाने का अनुरोध किया.

साथ ही बैंक नियंत्रकों से जिलेवार- बैंकवाइज़ राको (रोड़) एक्ट एवं SARFAESI एक्ट के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की संख्या उपलब्ध करवाने को कहा ताकि संबन्धित जिला कलेक्टर से नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की जा सके.

**संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार** ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनांतर्गत रोजगार बढाने हेतु आरसेटी, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम तथा अन्य विभागों से अग्रेषित आवेदन पत्र शीघ्र निस्तारण करने हेतु सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोज़गार की गति को बढ़ावा दिया जा सके. परिवार की आय बढने पर उनकी ऋण चुकता करने की क्षमता भी बढ़ेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का NPA स्तर कम होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होने नाबार्ड की योजना के अनुसार Term Loan को बढ़ावा देने पर जोर दिया, ताकि गाँवों के विकास में गति लाई जा सके. साथ ही मुद्रा योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने पर जोर दिया.

**संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान** ने सारे बैंक नियंत्रकों को राको (रोड़) एक्ट एवं SARFAESI एक्ट के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की सूचना मय जिला कलेक्टर/ प्राधिकृत अधिकारी को प्रकरण प्रेषित करने की दिनांक के साथ एसएलबीसी कार्यालय को प्रेषित करने का अनुरोध किया.

**(कार्यवाही : नियंत्रक सदस्य बैंक)**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बैंकों में बढ़ते हुए एनपीए के मुद्दे पर 'एसएलबीसी की उपसमिति (बकाया बैंक ऋणों की वसूली)' बनाने के लिए सदन से अनुमति मांगी जिसमें प्रमुख बैंकों के नियंत्रकों के साथ राजस्थान सरकार के संबन्धित विभागों को भी शामिल करने का सुझाव दिया.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति (बकाया बैंक ऋणों की वसूली) के गठन के सुझाव पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष महोदय व मंचासीन सदस्यों सहित सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की. **(कार्यवाही : एसएलबीसी, राजस्थान)**

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष तथा कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा** ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि राजस्थान में मुद्रा के अंतर्गत NPA खातों को भी राको (रोड़) एक्ट में शामिल किया जाए जैसा कि अन्य राज्यों में किया जा रहा है.

**(कार्यवाही : राजस्व विभाग एवं संस्थागत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार)**

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति श्री राजीव शर्मा ने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **135** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी.

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.2) **135** वीं बैठक के कार्यवाही बिन्दु:-

**ऑन-साईट ए.टी.एम .स्थापना**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि बीआरकेजीबी के बैंक के 52 एटीएम कार्यशील है एवं राजस्थान सरकार को हमारे द्वारा 48 एटीएम स्थापना के लिए अनुरोध किया गया है एवं यह प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित होने से सूचित किया गया है.

**अध्यक्ष, बीआरकेजीबी** ने बताया कि राजस्थान सरकार से 48 एटीएम स्थापना की अनुमति प्राप्त होने पर स्थापित कर दिए जाने से सूचित किया.

**(कार्यवाही: बीआरकेजीबी)**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि आरएमजीबी द्वारा दिनांक 31.12.2017 तक 15 एटीएम स्थापित किये गए है एवं कुल 18 एटीएम स्थापित किए जाने से सूचित किया गया है.

**अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक** ने अवगत करवाया कि उनके बैंक द्वारा 35 एटीएम मशीन क्रय कर ली गयी है जिसमें 20 एटीएम कार्यशील कर दिये गए एवं 15 एटीएम तकनीकी समस्या के कारण

कार्यशील नहीं हो पाए है. साथ ही उन्होने बताया कि उनके बैंक द्वारा छोटे एटीएम स्थापित किए जा रहे है जिनका सेवा प्रदाता वर्टैक्स कम्पनी है एवं आगामी वर्ष में 100 छोटे एटीएम शाखाओं में स्थापित किए जाएंगे **(कार्यवाही: आरएमजीबी)**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि बैंकों ने अपनी सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापना करने के बिन्दु को अनुपालनार्थ नोट किए जाने से सूचित किया है. दिसम्बर 2017 तक राज्य में 7488 बैंक शाखाओं के सापेक्ष 5020 ऑन-साईट एटीएम की स्थापना बैंकों द्वारा की जा चुकी है. साथ ही उन्होने सभी बैंको से अनुरोध किया कि बैंक अपनी सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने कार्यवाही करें. **(कार्यवाही: नियंत्रक संबन्धित बैंक, राजस्थान)**

**<u>आरसेटी (RSETI) को भूमि आवंटन</u>**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वर्तमान में 35 आरसेटी/रूडसेटी परिचालन में हैं जिनमें से 05 आरसेटी के भूमि आवंटन प्रकरण राज्य सरकार के स्तर से लंबित चल रहे हैं. निम्नलिखित भूमि आवंटन प्रकरणों पर समुचित कार्यवाही कर जल्द निस्तारण करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

**आरसेटी, अलवर (PNB): उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि सचिव, यू. आई. टी. अलवर द्वारा प्लॉट न. 3, वैशाली नगर, अलवर मे 2500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है. सचिव, यू. आई. टी. अलवर ने पत्रांक 20591/17 दिनांक 9-1-2017 से भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु दिनांक 11.01.2018 को संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के निर्णयानुसार निशुल्क भूमि आवंटन के प्रकरण को अनुषंशा हेतु यूडीएच, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित किया गया है. उक्त प्रकरण यूडीएच, राजस्थान सरकार, जयपुर के स्तर पर लंबित है.

**(कार्यवाही: शहरी निकाय विभाग एवं ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार)**

**आरसेटी, सवाईमाधोपुर (BOB)** : **उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि दिनांक 14.11.2017 को शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने दूरभाष पर बताया कि जिला परिषद, सवाई-माधोपुर की परिसीमा में भूमि की उपलब्धता के नहीं होने के चलते जिला परिषद की परिसीमा में भूमि आवंटन संभव नहीं हो पा रहा है तथा उन्होने RIICO औद्योगिक क्षेत्र में नई भूमि आवंटित करने का आश्वासन दिया. उक्त प्रकरण जिला कलेक्टर कार्यालय, सवाई-माधोपुर के स्तर पर लंबित है.

**(कार्यवाही: शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार)**

**आरसेटी जालौर** : **उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि दिनांक 14.11.2017 को आयोजित बैठक में एसबीआई प्रतिनिधि ने बताया कि उनके बैंक के द्वारा Civil Suit के विरुद्ध पैरवी की जावेगी एवं वैकल्पिक भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं है.

**आरसेटी श्रीगंगानगर : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि दिनांक 14.11.2017 को आयोजित बैठक में शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार ने निदेशक, आरसेटी, श्रीगंगानगर को निदेशक, यूडीएच, राजस्थान सरकार से समन्वय कर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश प्रदान किए गए. साथ ही उन्होने बताया कि ओरिएयंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने सूचित किया है कि निदेशक, यूडीएच, जयपुर से समन्वय कर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण कर लिया जावेगा.

**आरसेटी पाली : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा आरसेटी को कम से कम 0.50 एकड़ जमीन आवंटित की जानी है लेकिन आरसेटी, पाली को 0.50 एकड़ जमीन से कम जमीन आवंटित की गयी है. आरसेटी को वैकल्पिक भूमि का प्रकरण जिला प्रशासन स्तर पर लंबित है.

**(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं प्रायोजक बैंक)**

**प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक** ने बताया कि उनके द्वारा आरसेटी बाड़मेर के लिए भूमि आवंटन हेतु जिला प्रशासन द्वारा मांग की राशि रू 7.72 लाख उनके बैंक द्वारा जमा करवाने के पश्चात भी आज दिनांक तक लीज डीड जारी नहीं की गयी है

**(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)**

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने दिनांक 30.06.2018 से पूर्व आवंटित भूमि पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राशि रू 1.00 करोड़ का अनुदान उपलब्ध रहेगा अथवा नहीं इस पर स्थिति स्पष्ट करने लिए राज्य निदेशक, आरसेटी को निर्देश प्रदान किए.

**(कार्यवाही: राज्य निदेशक, आरसेटी, राजस्थान)**

**<u>वसूली (PDR Act)</u>**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि बैकों के लिए तेजी से बढ़ता हुआ NPA चिंता का विषय है. उन्होने बताया कि केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में सरकार से वसूली में सहयोग की अपेक्षा की जाती है. राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के सभी ऋणों को राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में शामिल किया जाये ताकि बैंकों की वसूली में सुधार हो सके तथा आगे नये ऋण देने में उन्हे प्रोत्साहन मिल सकें. राज्य सरकार से अपेक्षित कार्यवाही हेतु पुनः अनुरोध है.

**(कार्यवाही: राजस्व विभाग राजस्थान सरकार)**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को अवगत करवाया कि दिसम्बर 2017 तक सभी बैंकों का कुल NPA 3.75% रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 3.82% एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में 6.32% सकल NPA है एवं बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों विशेषकर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के ऋणों में लगातार हो रही वृद्धि की दशा में राज्य सरकार से बैंक ऋण वसूली हेतु समुचित सहयोग हेतु अनुरोध किया गया. साथ ही इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, राजस्थान सरकार एवं अति. मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया.

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि अग्रणी जिला प्रबन्धक, डूंगरपुर, भीलवाडा एवं जयपुर ने सूचित किया है कि बकाया बैंक कृषि ऋणों की वसूली के लिए प्रकृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में उन्होने राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत समस्त जिला कलेक्टर्स को राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से बकाया बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने का पुनः अनुरोध है.

**(कार्यवाही: राजस्व विभाग राजस्थान सरकार)**

**<u>साख जमा अनुपात (CD Ratio)</u>**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि राज्य में तीन जिले यथा डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही जिले का CD Ratio 40% से नीचे आ जाने के कारण जिले के साख जमा अनुपात प्रदर्शन की निगरानी हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक के संयोजन में DCC की विशेष उप समिति का गठन कर लिया गया है एवं विशेष उप समिति की बैठक नियमित रूप से संबन्धित जिलों में किए जाने से सूचित किया है.

जिला डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही का दिसम्बर 2017 (सितम्बर 2017) का साख जमा अनुपात क्रमशः 36.32% (35.17%), 45.73% (43.24%) एवं 39.44% (38.54%) रहा है. इस प्रकार जिला राजसमंद में दिसम्बर 2017 का जमा साख अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से थोड़ा ऊपर रहा है.

साथ ही उन्होने उक्त जिलों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बीआरकेजीबी, आरएमजीबी की शाखाओं का दिसम्बर 2017 को साख जमा अनुपात के बारे में बताया एवं साख जमा अनुपात की समीक्षा विशेष रूप से करने एवं साख जमा अनुपात बढ़ाने की कार्य योजना बनाने तथा कार्य योजना के सापेक्ष उपलब्धि की नियमित समीक्षा बैंक नियंत्रक स्तर से किए जाने हेतु अनुरोध किया.

**<u>5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों का रोडमैप (FIP - Road Map)</u>**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि दिनांक 28.02.2018 तक 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) 171 गांवों में नयी शाखाएँ खोलने की स्थिति निम्नानुसार रही:

- 47 गांवों में बैंक शाखाएं खोल दी गयी हैं.
- 103 गांवों में शाखाएं खोलने के प्रस्ताव बैंकों ने आर्थिक/ व्यावसायिक लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग आउटलेट की औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए बीसी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने से सूचित किया है.
- 21 गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रकरण के प्रस्ताव बैंकों के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं.

साथ ही उन्होने सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि दिनांक 31.03.2018 तक 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) गांवों में बैंकिंग आउटलेट की परिभाषा की औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए शाखा अथवा बीसी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें.

**महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक** ने बताया कि बैंकों में पीसीए लगने के पश्चात उनके कार्यालय को प्राप्त हो रहे पत्रों के बारे में स्पष्ट करना चाहते है कि जिन बैंकों में पीसीए लग गया है उनके बैंको के द्वारा बैंक शाखाएं नहीं खोली जा सकती है लेकिन उन बैंकों के द्वारा बीसी के माध्यम से बैंकिंग आउटलेट खोलने में कोई पाबंधी नहीं है. अतः 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलना सुनिश्चित करें.

साथ ही उन्होने कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक एवं यूको बैंक द्वारा 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने में कोताही बरतने के लिए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा कोटक महिंद्रा बैंक व इंडसइंड बैंक प्रतिनिधियों द्वारा नियमित रूप से बैठकों में सहभागिता नहीं करने के लिए भी उन्होने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं उन बैंकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा.

**(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**यूको बैंक के प्रतिनिधि** ने बताया कि उनके बैंक को आवंटित 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) गांवों में दिनांक 31.03.2018 तक बैंकिंग आउटलेट स्थापित कर दिए जाएंगे.

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने कोटक महिंद्रा बैंक व इंडसइंड बैंक प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में सहभागिता नहीं करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं उन बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को इस बारे में पत्र लिखने के लिए कहा.

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि 133 वीं बैठक में अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सीएसआर कार्ययोजना पर एसएलबीसी की उपसमिति में चर्चा करने के लिए दिये गये निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 09/08/2017 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उपसमिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक के दौरान आयुक्त, उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर, राजस्थान सरकार ने मुख्य कार्यकारी प्रबन्धक, राजीविका, राजस्थान सरकार को निर्देश दिये कि सुमेधा एनजीओ के द्वारा राज्य में मेधावी छात्र/छात्राओं को स्कॉलरशीप देकर लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया को समझे एवं सभी हितग्राहियों से साझा करें. इस संबंध में मुख्य कार्यकारी प्रबंधक, राजीविका, द्वारा इस सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी से आयुक्त, उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर, राजस्थान सरकार को अवगत करवाने से सूचित किया गया है.

**कनेक्टिविटी की समस्या (Connectivity Issue)**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने कनेक्टिविटी की समस्या से ग्रस्त ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी की समस्या का निस्तारण करने एवं कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने में आने वाले आवर्ती खर्चों को वहन करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकार से अनुरोध किया.

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वी-सैट के माध्यम से सामान्य कनेक्टिविटी नहीं आती है. अतः दूरसंचार विभाग से कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए कहा

**प्रतिनिधि, बीएसएनएल** ने बताया कि उनके विभाग द्वारा जहां पर कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है उन स्थानों पर मांग राशि जमा करवाने पर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा दी जाती है.

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि राज्य में 822 स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या के निस्तारण हेतु VSAT लगाने के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं एवं जिसमें से दिनांक 31.12.2017 तक 222 स्थानों पर VSAT लगाने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है. बीआरकेजीबी (265) एवं पीएनबी (102) द्वारा सूचित किया गया है कि उनके बैंक के द्वारा चिन्हित स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या नहीं है. साथ ही उन्होने बताया कि इस संबंध में नाबार्ड ने परिपत्र संख्या 287/DFIBT-53/2017 दिनांक 19.12.17 के द्वारा सूचित किया है कि बैंकों को ग्रे क्षेत्रों के उप-सेवा क्षेत्रों में जहां सौर ऊर्जा पर चलने वाले वी-सैट की वर्तमान मंजूरियों का उपयोग नहीं किया जा सका है उन उप सेवाक्षेत्रों में मोबाईल बूस्टर योजना का लाभ ले सकते हैं. मोबाईल बूस्टर योजना के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.03.2018 है.

**(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के तहत राज्य में 10000 से कम आबादी वाले गावों में कम से कम 2 PoS मशीन स्थापित करने का लक्ष्य है. इस संबंध में 10393 गांवों में 14300 PoS मशीनों की स्थापना के लिए नाबार्ड ने 8.58 करोड़ रू की लागत पुनर्भरण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है. साथ ही बताया कि लागत का पुनर्भरण दिसम्बर 2017 तक ही संभव है. दिनांक 20.02.2018 तक राज्य में 10000 से कम आबादी वाले गावों में कम से कम 2 PoS मशीन स्थापित करने के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में विभिन्न बैंकों के द्वारा 505 गांवों में केवल 697 PoS मशीनों की स्थापना की गयी है.

**अन्य कार्यवाही बिन्दु**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 135वीं बैठक में महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की एमएसएमई की उपसमिति को थोड़ा छोटा करने की सलाह दी एवं उक्त समिति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिड्बी, लीड बैंक एवं कुछ बड़े बैंकों को सदस्य बनाने का सुझाव दिया तथा उक्त उपसमिति बैठक में विभिन्न कलस्टर के एमएसएमई

उद्यमियों एवं अन्य उद्योगों के प्रतिनिधियों यथा ऑइल उद्योग, मार्बल उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग इत्यादि को आमंत्रित करने का सुझाव दिया ताकि उन उद्योगों को संचालित करने में आ रही परेशानियों को शीघ्र निस्तारण करने हेतु कार्यवाही की जा सकें.

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अनुपालना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उपसमिति (एमएसएमई) की द्वितीय बैठक दिनांक 14.02.2018 को आयोजित की गयी है. जिसमें निम्नलिखित एमएसएमई क्लस्टर के उद्यमियों आमंत्रित किया गया :

- प्रतिनिधि, खादी ग्रामोद्योग समिति, जयपुर, टोंक, दौसा एवं भीलवाड़ा
- प्रतिनिधि, राष्ट्रीय लघु उद्योग, निगम (NSIC),
- प्रतिनिधि, जयपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन, बाईस गोदाम, जयपुर

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि आरसेटी संस्थानों के द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा के अंतर्गत दिनांक 31.12.2017 तक 31328 कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संशोधित लक्ष्य के सापेक्ष 6109 कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया है. इस प्रकार लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 19.50% रही है एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि प्रशिक्षण के लिए चिन्हित/इच्छुक लाइफ मनरेगा कामगारों का Identification एवं Sponsoring करने हेतु एवं उक्त सूचना समस्त आरसेटी संस्थानों को उपलब्ध करवाया जाने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाने हेतु अनुरोध है. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही प्रतीक्षित है.

**(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं राज्य निदेशक, आरसेटी, राजस्थान)**

**<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u>**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि दिनांक 07.12.2017 व 14.12.2017 को आयोजित वीडियो कोंफ्रेस में एवं दिनांक 08.12.2017 को संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में नई-दिल्ली में आयोजित बैठक में एवं सहायक निदेशक, (साख एवं सहकारिता), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.12.2017 को प्रेषित ई-मेल के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार रबी 2017-18 के फसल बीमा के आकड़े **<u>राष्ट्रीय पोर्टल</u>** (www.agri-insurance.gov.in) पर अद्यतन करने हेतु सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है. साथ ही उन्होने बताया कि भारत सरकार ने बैंकों को फसल बीमा के आकड़े अद्यतन करने के लिए केवल गुजरात एवं कर्नाटक को ही राज्य पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश दिए है इसके अलावा समस्त राज्यों को राष्ट्रीय पोर्टल पर ही फसल बीमा के आकड़े अद्यतन करने के निर्देश है.

**संयुक्त निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार** ने बताया कि उनके विभाग द्वारा जारी रबी 2017-18 की अधिसूचना दिनांक 03.11.2017 के अनुसार रबी 2017-18 के फसल बीमा के आकड़े राज्य पोर्टल पर अद्यतन करने हेतु सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है एवं फसल बीमा के क्लेम विभिन्न बैंकों की

शाखाओं में लंबित पड़े हुए है जिनको शीघ्र संबन्धित कृषकों के खातों में अंतरित (transfer) करने के लिए सूचित किया

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि सहायक निदेशक, (साख एवं सहकारिता), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.12.2017 को प्रेषित ई-मेल के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार रबी 2017-18 के फसल बीमा के आकड़े राष्ट्रीय पोर्टल (www.agri-insurance.gov.in) पर अद्यतन करने हेतु सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है तथा संयुक्त निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार को निर्देश दिए कि भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर पोर्टल पर बैंकों के द्वारा आकड़े अद्यतन करने के प्रकरण को सुलझाएँ ताकि बैंक नियंत्रकों को स्पष्ट निर्देश दिए जा सकें.

**अध्यक्ष, आरएमजीबी** ने बताया कि उनके बैंक द्वारा राज्य पोर्टल पर फसल बीमा के आकड़े अद्यतन किए गए है एवं उन्होने संयुक्त निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि उनके बैंक के आकड़े राज्य पोर्टल से राष्ट्रीय पोर्टल पर अंतरित करें.

**<u>सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में प्रगति एवं अन्य कार्यवाही बिन्दु</u>**

**<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वर्ष 2017-18 के पीएमईजीपी के तहत राज्य में मार्जिन के संशोधित लक्ष्य राशि रू 122.73 करोड़ के सापेक्ष राशि रू 68.60 करोड़ की मार्जिन मनी स्वीकृति की उपलब्धि रही है. जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 56% उपलब्धि है. उन्होने समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध किया कि पीएमईजीपी के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

**उपनिदेशक, उद्योग, राजस्थान सरकार** ने बताया कि वर्ष 2017-18 के पीएमईजीपी के तहत राज्य में मार्जिन के संशोधित लक्ष्य राशि रू 122.73 करोड़ के सापेक्ष राशि रू 42.00 करोड़ के ही मार्जिन मनी के क्लेम बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए है. उन्होने समस्त बैंक नियंत्रक एवं विशेष रूप से नियंत्रक भारतीय स्टेट बैंक से योजानान्तर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया.

**<u>भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)</u>**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) के अंतर्गत राज्य के लक्ष्य 11000 ईकाई को वित्तपोषण करने के रखे हैं एवं दिनांक 28.02.2018 तक बैंक शाखाओं द्वारा 7692 आवेदन पत्रों में ही ऋण स्वीकृति की कार्यवाही की गई है तथा लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 70% है. उन्होने समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध किया कि बीआरएसवाई के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

**उपनिदेशक, उद्योग, राजस्थान सरकार** ने बताया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) के अंतर्गत शेष रहे 30% लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया एवं उन्होने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं में लगभग 5400 आवेदन पत्र लंबित है एवं लक्ष्य के सापेक्ष केवल 25% की उपलब्धि है. उन्होने महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक से योजनांतर्गत लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया.

**<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि एनआरएलएम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के 44000 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 13.03.2018 तक 31827 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज किया गया है जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 72.33% उपलब्धि है. उन्होने समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध किया कि एनआरएलएम योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

**प्रतिनिधि, राजीविका** ने बताया कि एनआरएलएम योजना के तहत विभिन्न बैंकों में 5400 आवेदन पत्र लंबित है. उन्होने बताया कि लक्ष्यों के सापेक्ष भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धि 11%, यूको बैंक की उपलब्धि 13%, सीसीबी की उपलब्धि 34% एवं आरएमजीबी की उपलब्धि 44% रही है एवं इन बैंकों में लगभग 4000 आवेदन पत्र लंबित है से सूचित किया. साथ ही उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों से एनआरएलएम योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

**<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत दिनांक 28.02.2018 तक राज्य में 5556 लाभान्वितों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है एवं योजनांतर्गत 19960 लंबित आवेदन पत्रों को अविलंब निस्तारित करने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया

.

परियोजना निदेशक, एनयूएलएम ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत आज दिनांक तक लक्ष्यों के सापेक्ष 60% की उपलब्धि है एवं भारतीय स्टेट बैंक में लगभग 2900 आवेदन पत्र लंबित है उनके निस्तारण हेतु भारतीय स्टेट बैंक नियंत्रक से अनुरोध किया.

साथ ही उन्होने बताया कि पूरे भारत वर्ष में एनयूएलएम योजना के तहत राज्य का स्थान तृतीय है एवं समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि जिन आवेदन पत्र में ऋण स्वीकृति जारी की जा चुकी है उन आवेदन पत्रों में ऋण वितरण करने हेतु अनुरोध किया जिससे की भारत वर्ष में राजस्थान का प्रथम स्थान प्राप्त हो सके.

**Special Central Assistance Scheme SC/ST**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 31560 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 6779 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 21.48% उपलब्धि है. समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंकों से वर्ष 2017-18 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने हेतु अनुरोध है.

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि एसएलबीसी की 133 वीं बैठक में आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर राजस्थान सरकार ने सुझाव दिया कि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य में कार्यरत बैंक शाखाओं में से 3 शाखा प्रबन्धकों का चयन कर एसएलबीसी बैठकों में सम्मानित किया जाना चाहिए. इसकी अनुपालना में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निम्नलिखित शाखा प्रबन्धकों एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक को मंचासीन सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया :

**श्रेणी: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**

**प्रथम पुरस्कार** शाखा : अजीतगढ़, पंजाब नेशनल बैंक
मार्जिन मनी क्लेम: 8 प्रकरण में राशि रू 68.44 लाख

**द्वितीय पुरस्कार** शाखा : आबू रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा
मार्जिन मनी क्लेम: 7 प्रकरण में राशि रू 58.50 लाख

**श्रेणी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

**प्रथम पुरस्कार** शाखा : नांगल शेरपुर, बीआरकेजीबी
मार्जिन मनी क्लेम: 5 प्रकरण में राशि रू 8.25 लाख

**श्रेणी : अग्रणी जिला प्रबन्धक**

जिला : अग्रणी जिला प्रबन्धक, जयपुर
बैंक : यूको बैंक
मार्जिन मनी क्लेम: 88 प्रकरण में राशि रू 395 लाख

**स्टेण्ड अप-इण्डिया (SUI)**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि स्टेण्ड अप-इण्डिया योजनान्तर्गत राज्य के बैंकों को आवंटित 13554 के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में केवल 1284 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है एवं संचयी (Cumulative) 2922 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है. उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ क्रियान्विति करावें.

**प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में दिसम्बर 2017 तक 2588 इकाइयों को राशि रू 24.91 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में दिसम्बर 2017 तक 807 इकाइयों को 3.40 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया है. राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में दिसम्बर 2017 तक केवल 503 इकाइयों को राशि रू 7.30 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है. साथ ही उन्होने समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, एनएचबी एवं हुड़को से आकड़ों के विचलन को दूर करने हेतु अनुरोध किया.

**(कार्यवाही समस्त बैंक नियंत्रक, राजस्थान)**

**उपमहाप्रबंधक,** राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने राजस्थान में बड़ी संभवानाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिक से अधिक लोगो को लाभान्वित करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करने हेतु सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

**परियोजना निदेशक, रुडसिको** ने बताया कि राजस्थान सरकार ने लगभग 70,000 मकान सीएलएसएस योजना के तहत स्वीकृत किए है जिनकी नोडल एजेंसी यूएलबी एवं जेडीए है एवं आवंटितों की सूची समस्त बैंकों को प्रेषित करने हेतु सूचित किया. साथ ही उन्होने योजनान्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करने हेतु सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि एसएलबीसी की 135वीं बैठक में मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री की कृषकों की 2022 तक आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एफ़पीओ की प्रमुख भूमिका हो सकती है. साथ ही उन्होने सूचित किया कि उनकी भरतपुर विजिट के दौरान पाया गया कि मंडी समिति ने एफ़पीओ को लाइसेन्स देने के लिए सहमति जताई है एवं नाबार्ड द्वारा राज्य में 143 एफ़पीओ स्थापित किए गए है. उन्होने भारत सरकार के निर्देशानुसार गठित एफ़पीओ को लाइसेन्स देने एवं मंडी में स्थान उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध किया. इस संबंध में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से अपेक्षित कार्यवाही प्रतीक्षित है.

**महाप्रबंधक, नाबार्ड** ने बताया कि नाबार्ड द्वारा बनाए गए 143 एफ़पीओ की सूची एसएलबीसी के द्वारा समस्त बैंकों से साझा कर दी गयी है. उन्होने उक्त एफ़पीओ को बैंक के रेटिंग मानक से मूल्यांकन कर एफ़पीओ वित्त पोषित करने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए.

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि एसएलबीसी की 135वीं बैठक में मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने राज्य के समस्त पात्र किसानों को उत्पादन ऋण (Production Credit) उपलब्ध करवाने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए थे जिसको समस्त बैंक नियंत्रकों ने अनुपालनार्थ नोट किए जाने से सूचित किया है.

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि गोइंग डिजिटल के केंप के लिए नाबार्ड राशि रू 5000 प्रति केंप उपलब्ध करवाता है इस संबंध में समस्त बैंक नियंत्रकों को अधिकाधिक केंप आयोजित कर राशि का पुनर्भरण करने का अनुरोध किया.

**<u>लीड बैंक स्कीम</u>**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि एसएलबीसी की 135वीं बैठक में महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीसी संयोजक बैंकों के सभी नियंत्रक बैंकों को निर्देश प्रदान किए थे कि उनके बैंक अग्रणी जिला प्रबन्धकों को डीएलआरसी बैठक एवं डीसीसी बैठक दोनों ही अलग अलग आयोजित करने के निर्देश प्रदान करें. साथ ही महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि अभी भी जिलों में जिला समन्वयकों द्वारा अग्रणी जिला प्रबन्धकों को सूचना समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है एवं उनके द्वारा जिला स्तरीय/ब्लॉक स्तरीय बैठकों में भी सहभागिता नहीं की जा रही है. जिसमें से चुरू एवं जैसलमेर जिले में समस्या अधिक है. उन्होने इस संबंध में उनके द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी समस्या बरकरार रहने पर खेद व्यक्त करते हुए नियंत्रक, भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिये कि जिला समन्वयकों/ ब्लॉक समन्वयकों के नाम की सूची अभी भी उनके कार्यालय को प्रेषित नहीं की है. अतः जिला समन्वयकों/ ब्लॉक समन्वयकों के नाम की सूची उनके कार्यालय एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से साझा कर दे ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. इस संबंध में डीसीसी संयोजक बैंकों के सभी नियंत्रकों ने संबन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धकों को डीएलआरसी बैठक एवं डीसीसी बैठक दोनों ही अलग अलग आयोजित करने के निर्देश दिए जाने से सूचित किया है एवं भारतीय स्टेट बैंक ने जिला समन्वयकों/ ब्लॉक समन्वयकों के नाम की सूची भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किए जाने से सूचित किया है.

**<u>अन्य कार्यवाही बिन्दु</u>**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि बैंक द्वारा शाखा परिसर के बाहर प्रदर्शित विज्ञापनों की सूची पट्ट एवं विज्ञापन शुल्क देने बाबत नगर निगम कार्यालय, जयपुर ने बैंकों को नगर निगम सीमा में प्रदर्शित विज्ञापन जो उपविधियों के अनुसार 4 फिट चौड़ाई एवं अधिकतम 50 फिट लंबाई सीमा में है उन विज्ञापनों पर वित्तीय वर्ष हेतु प्रचलित दर @237.59 प्रति वर्ग फिट से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया है एवं उक्त राशि जमा नहीं होने करने की स्थिति में विज्ञापन हटाने का हर्जा खर्चा भी बैंक से वसूल करने से सूचित किया है. जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए शाखा परिसर के बाहर प्रदर्शित विज्ञापन के कारण बैंकों पर प्रभारित विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

**परियोजना निदेशक, डे-एनयूएलएम** ने बताया कि नगर निगम कार्यालय द्वारा वैधानिक विज्ञापन शुल्क ही वसूल किया जाता है एवं विज्ञापन शुल्क बैंकों से वसूलने के संबंध में स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा जांच की जा रही है कि उक्त बोर्ड विज्ञापन की श्रेणी में आता है अथवा नहीं. रिपोर्ट आने के बाद विज्ञापन शुल्क वसूलने/छूट देने का निर्णय लिया जावेगा.

**Chief Minister Skill Loan Scheme**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि आईबीए से अनुमोदित स्किल लोन स्कीम को राज्य सरकार ने Chief Minister Skill Loan Scheme के नाम से योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही है. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व विभाग से योजना में ब्याज अनुदान के क्लेम के प्रपत्र एवं पद्दति प्रक्रिया उपलब्ध करवाने हेतु पुनः अनुरोध किया .

**एजेण्डा क्रमांक - 2**

**Social Banking parameters & Annual Credit Plan**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि शाखा विस्तार: 31 दिसम्बर, 2017 तक राज्य में कुल 7,488 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 124 शाखाएं खोली गयी हैं एवं 154 शाखाएं बंद की गयी है जिसमें से प्रमुख रूप से एसबीआई एवं इसके सहयोगी बैंकों के विलय के पश्चात शाखाएं बंद की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है.

**जमाएँ व अग्रिम**: 31 दिसम्बर, 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष नकारात्मक वृद्धि 7.81% के साथ कुल जमाएँ रूपये 337754 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 17.19% के साथ कुल ऋण रूपये 2,62,673 करोड़ रहे हैं. जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों की वर्ष दर वर्ष नकारात्मक वृद्धि क्रमशः 8.09%, 6.45% एवं 4.03% रही तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं को-ऑपरेटिव बैंकों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 18.16%, 15.53% एवं 6.25% रही. साथ ही उन्होने बताया कि साख जमा अनुपात प्रदर्शन की निगरानी हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक के संयोजन से गठित DCC की विशेष उप समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जा रही है.

**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण**: 31 दिसम्बर, 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 18.96% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 184386 करोड़ रू रहा है.

**कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण:** 31 दिसम्बर, 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 14.63% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 97623 करोड़ रहा है.

**सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र** को ऋण: 31 दिसम्बर, 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 24.25% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 86763 करोड़ रहा है.

**कमजोर वर्ग को ऋण**: 31 दिसम्बर, 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 17.65% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 59776 करोड़ रहा है.

**अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण**: 31 दिसम्बर, 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 5.71% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 13390 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को अग्रिम 70.20%, कृषि क्षेत्र को 37.17%, कमजोर वर्ग को 22.76%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 15.42% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 11.03% रहा है. उपरोक्त सभी मानदण्डों में बकाया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंचमार्क से ऊपर रहे हैं.

**साख जमा अनुपात (CD Ratio):** 31 दिसम्बर, 2017 को राज्य में साख जमा अनुपात 79.90% रहा है. 31 दिसम्बर, 2017 को डुंगरपुर एवं सिरोही में CD Ratio क्रमशः 36.32%, एवं 39.44% रहा है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित बेंच मार्क 40% से कम है.

**वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति**: वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक साख योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में तृतीय तिमाही तक की उपलब्धि 56.44% रही है. कृषि में 50.89%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 89.62% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 43.15% की उपलब्धि दर्ज की गई है एवं वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष तृतीय तिमाही में वाणिज्यिक बैंकों ने 62.17%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 58.13% तथा को-ऑपरेटिव बैंक ने 38.29% की उपलब्धि दर्ज की है.

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सदन को नजदीकी राज्य हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के 31 दिसम्बर, 2017 के साख जमा अनुपात (CD Ratio), वार्षिक साख योजना में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषप्रद पायी गयी.

**ऐजेंडा क्रमांक - 3**

**Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011)**
उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गॉवों में से दिनांक 28.02.2018 तक केवल 47 गॉवों में बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं. इस संबंध में सदस्य बैंकों से दिनांक 23.03.2018 को 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है.

**(कार्यवाही : एसएलबीसी, राजस्थान)**

**प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)**

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में PMJDY के तहत खोले गए खातों में दिनांक 31.01.2018 तक RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 44.58% तथा आधार सीडिंग 84.04% है एवं वित्तीय

सेवाएँ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार PMJDY के तहत खोले गये खातों में आधार सीडिंग का कार्य 31.03.2018 तक पूर्ण किया जाना है.

इस हेतु सभी बैंकों से अनुरोध किया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्ययोजना पर बैंक कार्य करें.

उन्होने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY एवं PMJJBY में लंबित क्लेम की सूचना नियमित रूप से एसएलबीसी को उपलब्ध करवाने एवं लंबित क्लेमों को त्वरित गति से निपटाने हेतु नोडल बीमा कंपनी से अनुरोध किया.

**(कार्यवाही: बीमा कंपनीयां, राजस्थान एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**Spread of Financial Literacy in ITIs, Skilling Centre**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समग्र वित्तीय समावेशन को आगे ले जाने के लिए वित्तीय साक्षरता की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बतलाया कि वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (FLCs) एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम केंद्र (VTPs) और ऑपरेशनल केंद्र (OCs) जैसे कौशल विकास केन्द्रों में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने पर जोर दिया जा रहा है. 31 दिसम्बर 2017 तक 1775 केन्द्रों में 69919 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से लाभान्वित कर 67954 विद्यार्थियों को साक्षरता सामग्री उपलब्ध करवाए जाने की जानकारी दी.

**NABARD Guidelines regarding Installation of regarding Solar powered V-SAT for connectivity to Kiosk/ Fixed CSP in the SSA- Support under FIF**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि राज्य में 822 स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या के निस्तारण हेतु VSAT लगाने के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं एवं जिसमें से दिनांक 31.12.2017 तक 222 स्थानों पर VSAT लगाने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है. बीआरकेजीबी (265) एवं पीएनबी (102) द्वारा सूचित किया गया है कि उनके बैंक के द्वारा चिन्हित स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या नहीं है. साथ ही उन्होने बताया कि इस संबंध में नाबार्ड ने परिपत्र संख्या 287/DFIBT-53/2017 दिनांक 19.12.17 के द्वारा सूचित किया है कि बैंकों को ग्रे क्षेत्रों के उप-सेवा क्षेत्रों में जहां सौर ऊर्जा पर चलने वाले वी-सैट की वर्तमान मंजूरियों का उपयोग नहीं किया जा सका है उन उप सेवाक्षेत्रों में मोबाईल बूस्टर योजना का लाभ ले सकते हैं. मोबाईल बूस्टर योजना के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.03.2018 है.

**(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**To initiate the financial literacy programme for school children, with a special focus on female students of class 9 and 10 in the state**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत 5083 विद्यालयों का मानचित्रण (Mapping) कर 3375 विद्यालयों में साक्षरता कार्यक्रम किये गये हैं. इन कार्यक्रमों में 244180 विद्यार्थियों ने भाग लिया है तथा 229982 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता सामग्री भी उपलब्ध करवायी गयी है.

**Support from Financial Inclusion Fund (FIF) Deployment of PoS Terminals in Tier 5 and Tier 6 Centres**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के तहत राज्य में 10000 से कम आबादी वाले गावों में कम से कम 2 PoS मशीन की स्थापित करने का लक्ष्य है इस संबंध में 10393 गांवों में 14300 PoS मशीनों की स्थापना के लिए नाबार्ड ने 8.58 करोड़ रू की लागत पुनर्भरण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है तथा बैंकों द्वारा 505 गांवों में 697 PoS स्थापित की गयी है. **(कार्यवाही: क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, राजस्थान)**

**Suport from FIF-Promotional Scheme for Deployment of 20 Lakh BHIM AADHAAR pay Devices**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि नाबार्ड ने परिपत्र संख्या 292/DFIBT-56/2017 दिनांक 28.12.2017 के द्वारा योजना " Promotional scheme for deployment of 20 lakh BHIM Aadhaar pay devices including merchant on-boarding for merchant transcations" लॉच की है. साथ ही उन्होने बताया कि नाबार्ड के एफ़आईएफ़ के माध्यम से मर्चेन्ट के BHIM Aadhaar pay devices के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है.

**Constitution of State Level Financial Inclusion Committee (SLFIC)**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को अवगत करवाया गया कि वित्तीय समावेशन योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY), तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के कार्यान्वयन/ मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समिति (SLFIC) का गठन किया गया है, जिसकी चार बैठकों का मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजन किया जा चुका है. दिसम्बर 2017 तिमाही की बैठक शीघ्र आयोजित करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

**(कार्यवाही: संस्थागत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार एवं एसएलबीसी राजस्थान)**

**राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति - आरसेटी**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि राज्य स्तरीय समिति, आरसेटी का गठन किया जा चुका है तथा इसकी तृतीय बैठक दिनांक 09.01.2018 को आयोजित की गयी है.

**स्टेण्ड अप इण्डिया योजना की राज्य स्तरीय कार्यन्वयन समिति का गठन**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के गठन के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.08.2016 को जारी कर दिये हैं. समिति में सदस्य के रूप में दो विधायकों जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणी एवं एक महिला का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा नामित किया जाना प्रतीक्षित है. राज्य सरकार ने समिति की प्रथम बैठक का आयोजन विधायकों के नामित किये बिना करने का अनुरोध किया है. इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया है, जिसका प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है.

**(कार्यवाही: संयुक्त शासन सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार)**

**अटल पेंशन योजना (APY)**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि PFRDA द्वारा दिये गए अटल पेंशन योजना के तहत दिसम्बर 2017 तक कुल लक्ष्य 463760 के सापेक्ष में 346989 उपलब्धि रही है जो लक्ष्य का 74.82% है. वर्ष 2017-18 के लिए अटल पेंशन योजना के लक्ष्य पूर्व की भांति ही आवंटित किए गये है एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने एवं बीसी को भी प्रयास करने के लिए प्रेरित करने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया.

**(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**अन्य कार्यवाही बिन्दु**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि बैंक द्वारा प्रदर्शित विज्ञापनों की सूची पट्ट एवं विज्ञापन शुल्क देने बाबत नगर निगम कार्यालय, जयपुर ने बैंकों को नगर निगम सीमा में प्रदर्शित विज्ञापन जो उपविधियों के अनुसार 4 फिट चौड़ाई एवं अधिकतम 50 फिट लंबाई सीमा में है उन विज्ञापनों पर वित्तीय वर्ष हेतु प्रचलित दर @237.59 प्रति वर्ग फिट से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया है एवं उक्त राशि जमा नहीं होने करने की स्थिति में विज्ञापन हटाने का हर्जा खर्चा वसूल करने से भी सूचित किया है. इस संबंध में राज्य में कार्यरत बैंकों से एसएलबीसी कार्यालय को विभिन्न पत्र प्राप्त हुये है जिनमें बैंकों ने अवगत करवाया है कि शाखा के बाहर बैंक का नाम एवं शाखा के नाम का Glow Sign Board इसलिए प्रदर्शित किया जाता है ताकि ग्राहक/जनता को सुविधा रहे. उन्होने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंकों पर प्रभारित विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करें.

**(कार्यवाही : स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार)**

**Providing Aadhar Enrollement/updation facility in Bank Premises**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि भारत सरकार के गज़ट नोटिफिकेशन के अनुसार वाणिज्यिक एवं ग्रामीण बैंकों की प्रत्येक दस शाखाओं में से 1 शाखा में Aadhar Enrollement /updation की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों को निर्देशित किया गया है. उक्त निर्देशों की अनुपालना में राज्य की वाणिज्यिक एवं ग्रामीण बैंकों की 6934 शाखाओं में से 752 शाखाओं को Aadhar Enrollement/updation की सुविधा के लिए चिन्हित किया गया है एवं हमारे कार्यालय को प्राप्त सूचना के अनुसार 276 बैंक शाखाओं में आधार केंद्र स्थापित किए जा चुके है. साथ ही उन्होने बताया कि दिनांक 31.03.2018 तक राज्य में समस्त एक्टिव खातों में 100% Aadhar Authetication किया जाना है. इस संबंध में दिनांक 02.02.2018 तक राज्य में समस्त एक्टिव खातों में केवल 52.30% Aadhar Authetication किया गया है.

**Financial Inclusion in 115 Backward Districts**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्रांक F.No. 9/22/2012-FI (C-54005) दिनांक 15.02.2018 द्वारा -115- पिछड़े जिलों की सूची प्रेषित की है, इन जिलों में से 5 जिले यथा **बाड़मेर, धौलपुर, जैसलमर, करौली एवं सिरोही** राजस्थान राज्य के हैं. इन जिलों में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष DLCC बैठकों का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया है.

इस संबंध में नीति आयोग द्वारा विशेष DLCC बैठकों में प्रगति की समीक्षा हेतु निम्नांकित 5 मापदंड निर्धारित किए हैं:

1. बैंक खातों में आधार सीडिंग
2. मुद्रा लोन का वितरण
3. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में पंजीकरण
4. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में पंजीकरण
5. अटल पेंशन योजना में पंजीकरण

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों की अनुपालना में 5 जिलों में निम्नानुसार विशेष DLCC बैठकों का आयोजन किया गया है:

| क्र. सं. | जिले का नाम | विशेष DLCC बैठक की दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | बाड़मेर | 20.02.2018 |
| 2 | धौलपुर | 06.03.2018 |
| 3 | जैसलमेर | 28.02.2018 |
| 4 | करौली | 05.03.2018 |
| 5 | सिरोही | 28.02.2018 |

**Agenda No. 4**

**Doubling of Farmer's Income by 2022**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बतलाया कि कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की अनुपालना में विभिन्न पैरामीटर के बेंचमार्क नाबार्ड द्वारा निर्धारित कर दिये गए हैं. उन्होने सभी बैंक नियंत्रकों से आग्रह किया कि वार्षिक साख योजना का निर्धारण करते समय उनके क्षेत्र में व्याप्त संभव्यताओं को ध्यान में रखा जाये तथा इस संबंध में संबन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धक को आवश्यक दिशा निर्देश देने हेतु अनुरोध किया ताकि वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य में त्वरित गति लायी जा सके. साथ ही उन्होने कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर प्रदर्शन (Presentation) प्रदान किया.

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि दिनांक 07.12.2017 व 14.12.2017 को आयोजित वीडियो कोंफ्रेस में एवं दिनांक 08.12.2017 को संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में नई-दिल्ली में आयोजित बैठक में एवं सहायक निदेशक, (साख एवं सहकारिता), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.12.2017 को प्रेषित ई-मेल के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार रबी 2017-18 के फसल बीमा के आकड़े **राष्ट्रीय पोर्टल** (www.agri-insurance.gov.in) पर अद्यतन करने हेतु सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है. साथ ही उन्होने बताया कि भारत सरकार ने बैंकों को फसल बीमा के आकड़े अद्यतन करने के लिए केवल गुजरात एवं कर्नाटक को ही राज्य पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश दिए है इसके अलावा समस्त राज्यों को राष्ट्रीय पोर्टल पर ही फसल बीमा के आकड़े अद्यतन करने के निर्देश है.

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 1(4)/आ.प्र.एवं सहा./ सामान्य/2017/12930-49 दिनांक 16.11.2017 के अनुसार खरीफ 2017 में सूखे से खराबा होने की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज़ (संस्पेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स) एक्ट, 1952 के तहत राज्य के 13 जिलों में कुल 4151 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है. जिसकी सूचना एसएलबीसी विभाग द्वारा समस्त बैंकों को प्रेषित कर दिनांक 14.12.2017 को विशेष एसएलबीसी बैठक का आयोजन किया गया है. बैठक के कार्यवृत्त सभी हितधारकों से दिनांक 22.12.2017 को साझा कर लिये गये हैं.

**Credit Support to Farmer Producers' Organisation (FPOs)**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि प्रधानमंत्री की कृषकों की 2022 तक आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एफ़पीओ की प्रमुख भूमिका हो सकती है एवं नाबार्ड द्वारा राज्य में 143 एफ़पीओ स्थापित किए गए है. साथ ही उन्होने बताया कि नाबार्ड द्वारा बनाए गए 143 एफ़पीओ

की सूची एसएलबीसी के द्वारा समस्त बैंकों से साझा कर दी गयी है एवं उक्त एफ़पीओ को वित्त पोषित करने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

**Drought in 13 Districts of Rajasthan - Damage of current Kharif crop**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 1(4)/आ.प्र.एवं सहा./ सामान्य/2017/12930-49 दिनांक 16.11.2017 के अनुसार खरीफ 2017 में सूखे से खराबा होने की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज़ (संस्पेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स) एक्ट, 1952 के तहत राज्य के 13 जिलों में कुल 4151 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है. जिसकी सूचना एसएलबीसी विभाग द्वारा समस्त बैंकों को प्रेषित कर दिनांक 14.12.2017 को विशेष एसएलबीसी बैठक का आयोजन किया गया है एवं बैठक के कार्यवृत्त समस्त हितधारकों को एसएलबीसी के पत्रांक जं.अ./एसएलबीसी/2017-18/1670 दिनांक 22.12.2017 के द्वारा साझा कर दिए गये हैं.

**Strengthening of Negotiable Warehouse Reciepts (NWRs) by WDRA**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को अवगत करवाया कि NWR के पेटे बैंकों ने वर्ष 2017-18 की तृतीय तिमाही में 63 इकाईयों को ऋण राशि रू 82.58 करोड़ का वितरण किया है एवं 31 दिसम्बर 2017 को 396 इकाइयों में ऋण राशि रू 449.26 करोड़ बकाया है.

**वसूली (Recovery)**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सदन को अवगत करवाया कि 31 दिसम्बर 2017 तक सभी बैंकों का कुल NPA 3.75% रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 5.06% एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में 6.32% सकल NPA है एवं बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों विशेषकर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के ऋणों में लगातार हो रही वृद्धि की दशा में राज्य सरकार से बैंक ऋण वसूली हेतु समुचित सहयोग हेतु अनुरोध भी किया गया.

**Recovery cases reported pending under RACO (ROD) Act 1974 as on Dec. 2017**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार से राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर्स को राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से बकाया बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने का पुनः अनुरोध किया एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि डीसीसी/डीएलआरसी बैठक में राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का

निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत लंबित आवेदनों के निस्तारण की नियमित रूप से चर्चा करे.

**SARFAESI Act, 2002**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बतलाया कि जयपुर जिले में अग्रणी जिला प्रबन्धक से प्राप्त सूचना के अनुसार SARFAESI एक्ट, 2002 के अंतर्गत 99 प्रकरण जिला कलेक्टर, जयपुर के कार्यालय में लंबित हैं एवं राज्य सरकार से लंबित प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारण करने हेतु अनुरोध किया.

**(कार्यवाही: प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, राजस्थान सरकार व विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजस्थान)**

**एजेण्डा क्रमांक - 5**

**राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि एनआरएलएम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के 44000 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 13.03.2018 तक 31827 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज किया गया है जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 72.33% उपलब्धि है. उन्होने समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध किया कि एनआरएलएम योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

**राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत दिनांक 28.02.2018 तक राज्य में 5556 लाभान्वितों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है एवं लक्ष्यों के सापेक्ष 60% की उपलब्धि है. साथ ही उन्होने योजनांतर्गत 19960 लंबित आवेदन पत्रों को अविलंब निस्तारित करने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वर्ष 2017-18 के पीएमईजीपी के तहत राज्य में मार्जिन के संशोधित लक्ष्य राशि रू 122.73 करोड़ के सापेक्ष राशि रू 68.60 करोड़ की मार्जिन मनी स्वीकृति

की उपलब्धि रही है. जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 56% उपलब्धि है. उन्होने समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध किया कि पीएमईजीपी के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

**Special Central Assistance Scheme SC/ST**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 31560 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 6779 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 21.48% उपलब्धि है. समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंकों से वर्ष 2017-18 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने हेतु अनुरोध है.

**Revised Classification Under Priority Sector Lending**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को अवगत करवाया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र सं. RBI/2017-18/135/FIDD.CO.Plan.BC 18/04.09.01/2017-18 दिनांक 01.03.2018 के द्वारा सूक्ष्म/लघु एवं मध्यम उद्यमों (सेवा क्षेत्र) को दिये जाने वाले ऋणों जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणी में वर्गीकृत हो सके की सीमा में परिवर्तन से संबन्धित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

"Additionally, in the light of feedback received from various stakeholders and in line with the increasing importance of services sector in economy, it has been decided to remove the currently applicable loan limits of Rs. 5 Crore and Rs. 10 Crore per borrower to Micro/ Small and Medium Enterprises (Services) respectively, for classification under priority sector. Accordingly, all Bank loans to MSMEs, engaged in providing or rendering of services as defined in terms of investment in equipment under MSMED Act, 2006, shall qualify under priority sector without any credit cap."

**प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सदन को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के आवंटित लक्ष्यों 6395.67 करोड़ रू के सापेक्ष 31 दिसम्बर 2017 तक राशि रू 6034.41 करोड़ के ऋण बैंकों ने वितरित कर दिये हैं एवं जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 94.35% है.

साथ ही उन्होने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार ने गज़ट अधिसूचना दिनांक 12.02.2018 जारी कर यह सूचित किया है कि बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत रु. 10 लाख राशि तक के ऋणों पर किए जाने वाले ऋण अनुबन्ध पर दिनांक 31.03.2019 तक स्टांप ड्यूटी की छूट प्रदान की गयी है.

**भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) के अंतर्गत राज्य के लक्ष्य 11000 ईकाई को वित्तपोषण करने के रखे हैं एवं दिनांक 28.02.2018 तक बैंक शाखाओं द्वारा 7692 आवेदन पत्रों में ही ऋण स्वीकृति की कार्यवाही की गई है तथा लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 70% है. उन्होने समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध किया कि बीआरएसवाई के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

**स्टेण्ड अप-इण्डिया (SUI)**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि स्टेण्ड अप-इण्डिया योजनान्तर्गत राज्य के बैंकों को आवंटित 13554 के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में केवल 1284 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है एवं संचयी (Cumulative) 2922 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है. उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ क्रियांविति करावें.

साथ ही उन्होने बतलाया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवंटित 2980 के सापेक्ष केवल 1 उद्यमी को लाभान्वित किया गया है.

**अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक** ने बताया कि ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में स्टैंड अप इंडिया योजना की पात्रता की राशि के अनुसार ऋण प्रस्ताव नहीं आ पाते हैं, अत: उन्हे आवंटित लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया.

**Certified Credit Counsellor (CCC) - An advisor to MSMEs**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित दीपक मोहंती समिति की अनुशंसा की अनुपालना में उद्यमी मित्र तथा प्रमाणित ऋण परामर्शदाता जैसे नए उपाय और समाधान विकसित करने के महत्त्व को देखते हुए सीसीसी अवधारणा को तैयार किया गया है एवं सर्टिफाइड क्रेडिट काउन्सलर (सीसीसी) को तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी सिड्बी है. एमएसएमई ऋण की अपेक्षा करने वालों और ऋणदाताओं के बीच सीसीसी एक महत्त्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करेंगें एवं सीसीसी व्यवस्था के अधीन उद्यमियों को निम्न सहायता प्रदान करेंगें :

(ए) व्यावसायिक प्रस्ताव तैयार करने में सहायता, (बी) वित्तीय दस्तावेज़ और वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने में सहायता (सी) बाज़ार में उपलब्ध समुचित ऋण लिखतों से संबंधित सूचनाएँ साझा करने और (द) गैर-वित्तीय या अर्द्ध-वित्तीय व्यावसायिक निर्णयों, जैसे व्यवसाय विस्तार योजनाओं, में सहयोग के माध्यम से परामर्श प्रदान करने की अपेक्षा की गई है। ये (i) बैंकों को उद्यमियों के व्यावसायिक प्रस्तावों के लिए अनुशंसा, (ii) बैंकों की ओर से प्रारंभिक ऋण मूल्यांकन और (iii) बैंकों /ऋण-संस्थाओं द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त समर्थक सूचनाओं का तुलनात्मक विवरण भी उपलब्ध करवाना.

**Investor Awareness Programme**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि सचिव, कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक DO/3/33/2017-IEPFA दिनांक 14.11.2017 जो कि समस्त मुख्य सचिव को संबोधित है से सूचित किया है कि कम्पनी एक्ट के तहत Investor Education and Protection Fund (IEPF Authority) स्थापित किया है जिसका कार्य शहरी क्षेत्रों में पेशेवर संस्थाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी के माध्यम से निवेशकों के लिए शिक्षा एवं जागरूकता प्रदान करना है. साथ ही उन्होने समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों से निवेशकों के लिए शिक्षा एवं जागरूकता के संबंध में डीसीसी बैठकों का नियमित एजेंडा रखने के लिए अनुरोध किया.

**(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजस्थान)**

**<u>एजेण्डा क्रमांक - 6</u>**

**Rural Self Employment Training Institute (RSETI)**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि राज्य में 35 RSETI/RUDSET संचालित हैं एवं दिसम्बर 2017 तिमाही में आरसेटी संस्थानों द्वारा संचयी (Cumulative) 199599 प्रार्थियों को प्रशिक्षित कर उनमें से 154147 व्यक्तियों को व्यवस्थापित किया गया है. राज्य में सभी आरसेटी की समेकित व्यवस्थापन दर 77.23% रही है, जिनमें से 34.82% लोगो को बैंकों द्वारा वित्त पोषित कर से व्यवस्थापित किया गया है.

उन्होने बतलाया कि राष्ट्रीय निदेशक, आरसेटी ने समस्त आरसेटी को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लोगो (LOGO) को अपनी स्टेशनरी, पत्राचार इत्यादि पर उपयोग करने हेतु निर्देशित किया है एवं उन्होने समस्त आरसेटी प्रायोजक बैंक नियंत्रको से उनकी बैंक द्वारा संचालित आरसेटी को कॉमन लोगो का उपयोग करने हेतु निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया.

**RSETI- Status Building Construction (Summary)**

**उप महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि आरसेटी संस्थानों के 4 भवन निर्माणाधीन हैं एवं 06 जिलों में भूमि आवंटन के प्रकरण विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं. राज्य सरकार से इन प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया.

**Progress under RBI's Model Scheme for Financial Literacy Centers**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से दिसम्बर 2017 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 578 एवं पार्ट बी के लिए 1007 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं.

**Going Digital Camps**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि नाबार्ड ने पत्र दिनांक 15.12.2017 द्वारा सूचित किया है कि भारत सरकार ने सभी बैंक रहित क्षेत्रों में निकटवर्ती शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर लगाने हेतु निर्देशित किया है. इस संबंध में नाबार्ड ने सभी ग्रामीण बैंक रहित क्षेत्रों में कम से कम 1 कैंप का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया है.

उन्होने बताया कि एसएलबीसी कार्यालय के पत्रांक एसएलबीसी/FLCC/2017-18/1825 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा समस्त बैंक नियंत्रकों, अग्रणी जिला प्रबन्धकों से सभी बैंक रहित क्षेत्रों में "Going Digital Camp" आयोजित करने हेतु अनुरोध किया है.

**एजेण्डा क्रमांक - 7**
**Performance under CGTMSE**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017, तिमाही तक 3653 उद्यमियों को एवं राशि 319 करोड़ रू कवर किये जाने से समिति को अवगत करवाया एवं योजनान्तर्गत बैंकों से कवरेज बढ़ाने का आग्रह किया.

**एजेण्डा क्रमांक - 8**

**शिक्षा ऋण (Education Loan)**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में राज्य में 8052 छात्रों को राशि रू 253.84 करोड़ के शैक्षिक ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें कुल बकाया राशि रू 1749.82 करोड़ होने से अवगत करवाया. राजस्थान सरकार ने गज़ट अधिसूचना दिनांक: 12.02.2018 जारी कर रु. 10 लाख तक के शिक्षा ऋणों पर बैंकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुबन्धो पर स्टांप ड्यूटी की छूट दिनांक 31.03.2019 तक किए जाने से सूचित किया.

**प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)**

**उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में दिसम्बर 2017 तक 2588 इकाइयों को राशि रू 24.91 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में दिसम्बर 2017 तक 807 इकाइयों को 3.40 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया है. राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में दिसम्बर 2017 तक केवल 503 इकाइयों को राशि रू

7.30 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है. साथ ही उन्होने समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, एनएचबी एवं हुड़को से आकड़ों के विचलन को दूर करने हेतु से अनुरोध किया.

**(कार्यवाही समस्त बैंक नियंत्रक, राजस्थान)**

**उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री संदीप भटनागर** द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

*******